भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2030
बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

नेशनल करियर सर्विस परियोजना

2030. डा॰ विकास महात्मेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति और समनुषंगी स्थिति) के संबंध में बेरोजगारी दर की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा देश में रोजगार के सृजन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) रोजगार पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने वाली नेशनल करियर सर्विस परियोजना एनसीएस की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) क्या रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच एक असंतुलन है और क्या सरकार इसमें सुधार करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखेगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर 6.0% थी।

(ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

(ग से घ): सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है। ये सेवाएं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एनसीएस पोर्टल की प्रगति नीचे दी गई है:

| मानदंड | नवम्बर<br>(29 फरवरी, 2020 को) |
|---|---|
| रोजगार चाहने वालों को पंजीकृत | 1.09 करोड़ |
| नियोक्ता पंजीकृत हैं | 52,841 |
| रिक्तियों को जुटाया गया | 67 लाख |

एनसीएस परियोजना में रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना भी की गई। सरकार ने देश भर में 200 आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। एनसीएस परियोजना को रोजगार कार्यालयों के उन्नयन करने और रोजगार मेलों के आयोजन के लिए रोजगार कार्यालयों को आंशिक-निधीकरण के साथ एनसीएस पोर्टल के साथ परस्पर जोड़ने के लिए भी बढ़ाया गया है। फिलहाल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 766 रोजगार कार्यालयों को 25 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की गई है।

*****